<u>न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (सेशन न्यायाधीश) मेडता (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी-अरूण कुमार बेरीवाल, [जिला न्यायाधीश, मेड़ता (नागौर)]
आप. विविध (जमानत) प्रकरण संख्या 69/2026
CIS NO 69/2026
...

1. विजय पुत्र श्री हस्तीमल, आयु 31 वर्ष, निवासी मेड़ता सिटी पुलिस थाना मेड़ता सिटी, जिला नागौर।
2. वर्षा पुत्री श्री कानजी बिजावत, पत्नि श्री विजय सांसी, आयु 26 वर्ष, निवासी मेड़ता सिटी पुलिस थाना मेड़ता सिटी, जिला नागौर।

....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

<u>::विरूद्ध::</u>

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, मेडता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. 2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 36/2026 थाना थांवला।
अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 एन डी पी एस एक्ट

उपस्थित-
1-श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से
2-श्री अभिमन्यु शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक,राज्य की ओर से।

<u>::आदेश::</u>

<u>दिनांक 12.03.2026</u>

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विजय सांसी एवं वर्षा की ओर से यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना थांवला पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 36/2026 में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्रों पर दोनों पक्षों को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया।
2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है, तथाकथित मादक पदार्थ से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। बताई गई

मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्र से कम है। प्रकरण के सह अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है। अत: प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जावे।

3. विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

4. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अनुसंधान पत्रावली के अनुसार इस स्तर पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 8/21 एन डी पी एस एक्ट के अपराध का आरोप है, जिसमें दिनांक 25.02.2026 को पुलिस थाना थांवला के थानाधिकारी ने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विजय सांसी, वर्षा व प्रकरण के सह अभियुक्त के कब्जे से 60 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बिना वैध अनुज्ञा पत्र एवं परमिट के बरामद हुआ है। अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से इस स्तर पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से जप्तशुदा मादक पदार्थ स्मैक वाणिज्यिक मात्रा से कम मात्रा में बरामद हुई है। अनुसंधान पत्रावली के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त विजय सांसी के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा चार अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज है जो जैर ट्रायल है एवं प्रार्थीया/अभियुक्ता वर्षा के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा एक अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज है जो जैर ट्रायल है, परन्तु उनकी दोषसिद्धी बाबत कोई तथ्य अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 25.02.2026 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं विचारण में समय लगेगा। प्रकरण के सह अभियुक्तगण समीर पठान को पूर्व में इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2026 को जमानत का लाभ दिया जा चुका है तथा प्रकरण के प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का मामला सह अभियुक्त से भिन्न प्रकृति का प्रकट नहीं होता है। अत: इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का मत अभिव्यक्त किये बिना प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Special Leave Petition (Cri.)No. 5191 of 2021 सत्येन्द्र कुमार अंटिल विरूद्ध सी बी आई में पारित न्यायिक निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. परिणामस्वरूप प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक सुनवाई तिथि पर नियमित रूप से उपस्थिति के लिये 01,00,000/-, 01,00,000/-रूपये के स्वयं के

बंध पत्र एवं 50,000/-, 50,000/-रूपये की दो-दो जमानतें इस न्यायालय के समक्ष, न्यायालय की संतुष्टि की प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(अरूण कुमार बेरीवाल)
विशिष्ट न्यायाधीश
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम
(सत्र न्यायाधीश)
मेड़ता।

7. आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विशिष्ट न्यायाधीश
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम
(सत्र न्यायाधीश)
मेड़ता।